

राजस्थान सरकार
शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक: F3(1)Edu-2/Ramkhilari bairwa/2024-13209)

:: आदेश ::

श्री रामखिलाडी बैरवा, संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा, संभाग भरतपुर के विरुद्ध लगातार प्राप्त हो रही शिकायतों, पदीय दायित्व एवं कर्तव्य निर्वहन का पालन लापरवाही पूर्वक तरीके से करने के कारण राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-13 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है।

श्री रामखिलाडी बैरवा, संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा संभाग भरतपुर निलम्बन का अवधि में मुख्यालय शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर रहेगा तथा इन्हे नियमानुसार निर्वाह भत्ता देय होगा।

राज्यपाल की आज्ञा से

(मनीष गोयल)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. उप सचिव (जेपीएन), मा. मुख्यमंत्री कार्यालय।
2. विशेषाधिकारी, माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान, कैम्प कार्यालय भरतपुर।
3. विशिष्ट सहायक, मा. शिक्षामंत्री, राजस्थान सरकार।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर
6. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर
7. जिला कलक्टर, भरतपुर।
8. निदेशक माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
9. संबंधित कार्यालय/कार्मिक
10. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव

RajKaj Ref
9854605

